न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/42/2018 वाद   दायर दिनांक 15.06.2018

उनवान

1. कमला देवी पत्नी खेमचन्द रेगर आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन।

वादी

बनाम

1. उदयराम पिता अमरचन्द चमार आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन।
2. पियारा उर्फ प्यारा पिता अमरचन्द चमार आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन।
3. पृथ्वीराज पिता रामा चमार आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन।
4. तहसीलदार कपासन।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 23.03.2021

—:निर्णय:—

सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा विनोदखेडा प0ह0 दोवनी तहसील कपासन की आ0स0 432, 433, 434, 435, 601/436, कुल किता–5 कुल रकबा 2.64 है0 में वादीया द्वारा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी एक्ट0 के वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद पत्र में दिनांक 13.08.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिर्पोट प्रस्तुत की गई । उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के विरूद्ध दिनांक 24.07.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई आपत्ती प्रस्तुत नही हुई। अतः आज दिनांक 23.03.2021 को वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा विनोदखेडा प0ह0 दोवनी तहसील कपासन की आ0स0 432, 433, 434, 435, 601/436, कुल किता–5 कुल रकबा 2.64 है0 में [illegible] कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 06.10.2020 अनुसार नियमानुसार बटवारा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.19 17:38:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कमला देवी पत्नी खेमचन्द रेगर रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कपासन

क.स.	खाता0स0	आ0स0	रकबा
1	5	432/1	0.42
2	5	433/1	0.028
3	5	435/1	0.08
योग		कुल किता–3	0.528

2. उदयराम पिता अमरचन्द चमार हिस्सा 132/2110, प्यारा पिता अमरचन्द चमार 66/211, पृथ्वीराज पिता रामा चमार 132/211

क.स.	खाता0स0	आ0स0	रकबा
1	5	432 मी0	0.48
2	5	433 मी0	0.872
3	5	434	0.01
4	5	435 मी0	0.62
5	5	601/436	0.13
योग		कुल किता– 5	2.112

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.19 17:38:19 IST
Reason: SelfAttested